कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर, जयपुर

(महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम, राजस्थान)
सवाई जयसिंह हाइवे, बनीपार्क, कलैक्ट्रेट परिसर जयपुर, 0141–2207478, 2209920

कनिष्ठ तकनीकी सहायक (संविदा) साक्षात्कार संबंधी महत्वपूर्ण बिन्दु / शर्ते

1. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11(8)ग्रावि / नरेगा / पद सृजन / 2016 / 93342 दिनांक 25.5.2017 की पालना में रिक्त पदों की संख्या पुनर्निर्धारित कर, तदनुसार तीन गुना अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कर, योग्य अभ्यर्थियों पैनल तैयार किये जाने हेतु वरीयता सूची तैयार की गई है।
2. जिन अभ्यर्थियों को संबंधित महाविद्यालय / विश्वविद्यालय द्वारा, बी.टेक सिविल / बी.ई.एग्रीकल्चर / डिप्लोमा सिविल की अंकतालिका या डिग्री पूर्णांक–प्राप्तांक के स्थान पर सी.जी.पी.ए. / ओ.जी. पी.ए. ग्रेडिंग के आधार पर जारी की गई है, उनके संबंध में ऑल इण्डिया कौंसिल फॉर टेक्नीकल एज्युकेशन (AICTE) के नॉर्म्स अनुसार अभ्यर्थी के सी.जी.पी.ए. / ओ.जी.पी.ए. प्राप्तांक में से 0.75 घटाकर, शेष को दस से गुणाकर, प्राप्त समंक को अभ्यर्थी के प्रतिशत प्राप्तांक के रूप में लिया गया है।
3. अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय सभी शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी सभी सेमेस्टर की अंकतालिका व डिग्री, जाति प्रमाणपत्र, मूल निवास प्रमाणपत्र, अनुभव प्रमाणपत्र की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करनी होगी। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम अथवा फर्जी घोषित विश्वविद्यालयों से ली गई प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी डिग्री स्वीकार नहीं की जावेगी।
4. वरीयता तैयार किये जाने के संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया / फॉर्मूला के विरूद्ध कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।
5. तैयार की गई वरीयता सूची के संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को आपत्ति होने की दशा में दिनांक 17.04.2018 तक इस कार्यालय में, डाक से प्राप्त / व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई आपत्तियां ही स्वीकार की जावेंगी, सभी आपत्तियों के संबंध में जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) एवं जिला कलक्टर, जयपुर का निर्णय सर्वमान्य होगा।
6. वित्त विभाग द्वारा उक्त रिक्त पदों की अवधि बढ़ाये जाने की दशा में ही, रिक्त पदों के विरूद्ध चयन आदेश जारी किये जायेंगे।
7. किसी अभ्यर्थी का त्रुटिपूर्ण चयन पाये जाने की दशा में, चयन / कार्यग्रहण के पश्चात भी ऐसे अभ्यर्थी का चयन निरस्त किये जाने का अधिकार, जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर के पास सुरक्षित रहेगा। किसी भी विवाद की स्थिति में, न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
8. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा निर्धारित पैनल / अधिकारियों द्वारा साक्षात्कार लिया जावेगा। पैनल का चयन अभ्यर्थी के सम्मुख, रैण्डम आधार पर किया जावेगा। साक्षात्कार के दौरान आवेदक की शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक योग्यता तथा सिविल प्रकृति के कार्यो हेतु आवश्यक व्यावहारिक ज्ञान व अनुभव (यदि कोई हो) का परीक्षण किया जावेगा, जो 10 अंक का होगा।
9. साक्षात्कार कार्यक्रम निम्नानुसार रहेगा :–

साक्षात्कार की दिनांक	साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग समय	साक्षात्कार का समय	साक्षात्कार स्थल
17.4.2018	प्रातः 10:00 बजे से 11:00 बजे तक	प्रातः 11:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक	जिला परिषद सभागार, जयपुर

10. साक्षात्कार निर्धारित तिथि एवं समय पर लिया जावेगा, निर्धारित तिथि को समस्त अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कार्य पूर्ण न हो पाने की दशा में आगामी कार्यदिवस को साक्षात्कार किया जावेगा। ध्यान रहे, विलम्ब से उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को शिथिलन प्रदान नहीं किया जावेगा।

अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Scanned by CamScanner